न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3589—एक / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 09—10—13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 524 / बी—121 / 11—12.

रामकुमार साहू पिता कालूराम साहू
निवासी मेन रोड छपारा
जिला सिवनी म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
अपर कलेक्टर, जिला सिवनी ——— अनावेदक

श्री के0 के0 द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री अनिल श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 18 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 524 / बी—121 / 11—12 में पारित आदेश दिनांक 9—10—13 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने हेतु ग्राम डुगरिया छपारा प0ह0नं0 21

रा0नि0मं0 छपारा स्थित आबादी भूमि खसरा नं0 827/1 रकबा 0.16 में भू–धारक प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 01–03–2011 को तहसीलदार, छपारा को आवेदन दिया । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 01–6–2011 को आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 827/1 रकबा 0.16 प्रचलित आबादी में 20×30 = 600 वर्गफुट भूमि का भू–धारक प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया । तत्कालीन तहसीलदार का स्थानांतरण हो जाने के बाद तहसीलदार, छपारा ने उक्त पट्टा निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार छपारा के प्रतिवेदन अनुसार आदेश दिनांक 29–10–11 द्वारा आवेदक को आवेदक को दिया गया भू–धारक प्रमाणपत्र दिनांक 01–6–11 निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर, सिवनी के न्यायालय में अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 16–3–12 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर एस.डी.ओ. का आदेश दिनांक 29–10–11 को निरस्त कर दिया और स्वतः निगरानी करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा भू–धारक प्रमाणपत्र माननीय मुख्यमंत्री की योजना के तहत विधिवत प्रकिया अपनाकर जारी किया गया है और इस हेतु आवेदक को 70,000/– रूपये मकान बनाने हेतु स्वीकृत किये गये हैं और खाता खोलकर आवेदक ने 10,000/– रूपये जमा भी कर दिये हैं अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार छपारा को पट्टा निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया जाना विधि विरूद्ध है अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है इस कारण उक्त आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि जिस समय आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का आवासीय पट्टा दिया गया उस समय भूमि शासन के नाम दर्ज थी नाकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के नाम । यदि प्रश्नाधीन भूमि पी.एच.ई. विभाग को वर्ष 79 में आवंटित की गई थी तो वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2011 तक (32 वर्षों तक) नामांतरण क्यों नहीं कराया इसका कोई कारण अभिलेख में नहीं है । आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है । इस तथ्य को अपर कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पुराना चला आ रहा है । तहसीलदार द्वारा शासन की नीति के तहत आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का आवासीय पट्टा दिए जाने से पूर्व विधिवत प्रकिया अपनाई गई है । विधिवत जारी किया गया है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई है, ग्राम पंचायत द्वारा भी आवेदक को आवासीय पट्टा दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को जो भूखंड धारक प्रमाणपत्र दिया गया है वह विधिसम्मत है ।

यह तर्क दिया गया कि संहिता के प्रावधानों के तहत दिया गया है तो भू-धारक संहिता की धारा 181 के तहत सरकारी पट्टेदार माना जायेगा और ऐसे पट्टेदार को संहिता की धारा 182 के प्रावधानों के तहत ही बेदखली किया जाना संभव है ।

यह भी तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपर कलेक्टर, सिवनी ने अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन के अवैध आदेश को निरस्त कर दिया था तब उन्हें तहसीलदार की अवैध कार्यवाही को भी निरस्त करना था, जो उन्होंने न कर न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और ना ही उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिए जाने का कोई आधार है । स्वमेव निगरानी की कार्यवाही किसी के आदेश पर प्रारंभ नहीं की जा सकती इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा अपर कलेक्टर, सिवनी के आदेश को तहसीलदार, छपारा से प्रतिवेदन बुलाने संबंधी सीमा तक निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1979 में ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को आवंटित करदी गई थी ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है और उसे स्थिर रखे जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त आधारों पर निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का एवं आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को ग्राम छपारा प0ह0नं0 21 रा0नि0मं0 छपारा तहसील छपारा स्थित आबादी भूमि सर्वे नंबर 827/1 रकबा 0.16 हैक्टर में से 20×30 = 600 वर्गफुट भूमि का भूखंड धारक प्रमाणपत्र तहसीलदार, छपारा द्वारा अपने प्रकरण कमांक 07/अ–19/10–11 के माध्यम से दिनांक 01–6–11 को प्रदान किया गया है । तहसीलदार द्वारा जारी उक्त भूखंड धारक प्रमाणपत्र को अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन द्वारा सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड छपारा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 25–8–11 के आधार पर प्रकरण दर्ज कर बिना आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर दिए आदेश दिनांक 29–10–11 द्वारा निरस्त किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपर कलेक्टर ने दिनांक 16–3–12 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अधिकारिता विहीन मानते हुए निरस्त किया है साथ ही तहसीलदार छपारा को आवेदक को किए गए आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से स्वमेव निगरानी में लेने हेतु उन्हें भेजने के निर्देश दिए गए हैं । अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में जहां तक अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश का प्रश्न है वह आदेश अधिकारिता विहीन है, जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है लेकिन आदेश में उन्होंने तहसीलदार को आवेदक को किए गए आवंटन एवं पट्टे को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से उन्हें भेजने के जो निर्देश दिए हैं वे न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि उक्त बिंदु उनके समक्ष प्रश्नाधीन नहीं था । उक्त निर्देश अपर कलेक्टर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रकरण की विषय वस्तु से हटकर दिए गए हैं ।

6/ अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को आवासीय पट्टा देने के पूर्व विधिवत प्रकिया का पालन किया गया है । इश्तहार का प्रकाशन विधिवत किया गया है, पटवारी से रिर्पोट प्राप्त की गई है तथा ग्राम पंचायत से प्रतिवेदन लिया गया है, इश्तहार पर कोई आपत्ति नहीं आने एवं ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टा दिये जाने में कोई आपत्ति न किए जाने के उपरांत ही तहसीलदार, छपारा द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 827/1 रकबा 0.16 हैक्टर में से 20×30 = 600 वर्गफुट का भूखण्ड धारक का प्रमाणपत्र शासकीय नीति के तहत दिया गया है । अभिलेख में वर्ष 2011 के खसरे की प्रति संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस समय प्रश्नाधीन भूमि का आवासीय पट्टा आवेदक को दिया गया उस समय उस समय प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सर्वे नं. 827/1 रकबा 0.16 पर शासन का नाम आबादी के रूप में अंकित है नाकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नाम ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । यहां यह भी उल्लेखनीय है यदि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1979 में लोक स्वास्थ्य विभाग को वंटित कर दी गई थी तो विभाग द्वारा वर्ष 2011 तक (32 वर्ष तक) नामांतरण क्यों नहीं कराया गया इसका कोई कारण अभिलेख में नहीं है । विभाग द्वारा नामांतरण हेतु जो आवेदन दिया गया है वह आवेदक को भूधारक प्रमाणपत्र दिए जाने के आदेश दिनांक 01-6-11 के उपरांत दिनांक 25-8-11 को दिया गया है और 32 वर्ष के विलंब का कोई कारण भी नहीं दिया गया है । अपर

कलेक्टर द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को जो निर्देश दिए गए हैं वे औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । ऐसी स्थिति में उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–10–13 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–12 (का वह अंश जिसके द्वारा उन्होंने आवेदक को दिए गए आवासीय पट्टे को निरस्त करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भेजने के जो निर्देश तहसीलदार को दिए हैं, उस सीमा तक) निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, छपारा द्वारा दिनांक 01–6–2011 को आवेदक को जारी किया गया ग्राम डुगरिया छपारा स्थित भूमि सर्वे नंबर 827/1 रकबा 0.16 में से 20×30 = 600 वर्गफुट का भूखंड धारक प्रमाणपत्र स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार, छपारा को निर्देश दिए जाते हैं कि तद्नुसार आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और राजस्व अभिलेख संशोधित किए जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर